सिविल विविध

न्यायमूर्ति आर. एस. नरूला के समक्ष

देवा सिंह– यचिकाकार्ता

बनाम

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, आदि–उत्तरदाता

सिविल रिट नं. 2955/1970.

अक्टूबर 15, 1970.

भारत का संविधान (1950)– अनुच्छेद 29(2)– कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय अधिनियम–धारा 5– राज्य द्वारा अनुरक्षित या राज्य निधियों से सहायता प्राप्त करने वाली शैक्षिक संस्था–भर्ती का नागरिक का अधिकार–की सीमा– कहा--- किसी शैक्षिक संस्थान में किसी छात्र को भर्ती करने से मना करने का कार्य–क्या यह प्रशासनिक है–प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत - क्या लागू होते हैं–कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय अधिनियम (1956 का बारहवीं)–धारा 15, 16–अनुसूची I में अध्यादेश II– भर्ती परिषद द्वारा निर्धारित विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम में भर्ती की शर्तें–क्या इंट्रा वाइरवाइज अध्यादेश II है

अभिनिर्धारित किया कि, संविधान के अनुच्छेद 29 (2) के प्रावधान राज्य द्वारा बनाए गए या सहायता प्राप्त करने वाले प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान में भर्ती की गारंटी नहीं देते हैं। यह अनुच्छेद नागरिकों को केवल एक नकारात्मक मौलिक अधिकार प्रदान करता है। इसमें परिकल्पना की गई है कि यद्यपि किसी भी राज्य शैक्षिक संस्थान में भर्ती को निस्संदेह वैध आधार पर अस्वीकार कर दिया जा सकता है, लेकिन इसे केवल धर्म, नस्ल, जाति, भाषा या उनमें से किसी के आधार पर कभी भी अस्वीकार नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद किसी भी संस्थान में भर्ती का पूर्ण अधिकार प्रदान नहीं करता है। इसी तरह कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 5 केवल लिंग, राष्ट्रीयता, नस्ल, पंथ, जाति या वर्ग के बावजूद सभी व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय के दरवाजे खोलती है। हालांकि, धारा 5 में कही गई किसी भी बात का मतलब यह नहीं हो सकता है कि विश्वविद्यालय को उन छात्रों को भी भर्ती देना चाहिए जो अनुशासनहीनता और संदिग्ध व्यवहार में लिप्त होने की संभावना रखते हैं।

वास्तव में देश में कोई भी शैक्षणिक संस्थान वर्तमान में उन सभी उम्मीदवारों को भर्ती नहीं दे सकता है जो भर्ती के लिए खुद को पेश करते हैं। इसलिए, सभी शैक्षिक संस्थाओं द्वारा शैक्षिक और अन्य योग्यताओं, आयु आदि के आधार पर विभिन्न पाठ्यक्रमों में भर्ती के एक समान मानकों का पालन करने में सक्षम बनाने के लिए वैध और उचित प्रतिबंध आवश्यक रूप से निर्धारित किए जाने हैं। जब तक प्रत्येक छात्र को भर्ती की गारंटी नहीं दी जाती है, तब तक यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि शैक्षिक संस्थानों में अनुशासन बनाए रखने के लिए, प्रासंगिक नियम या विनियमन के अभाव में भी भर्ती के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के पास एक योग्य उम्मीदवार को भर्ती देने से इनकार करने का अंतर्निहित अधिकार है, यदि भर्ती प्राधिकारी संतुष्ट हैं कि वह इस अर्थ में वांछनीय व्यक्ति नहीं है कि वह अवांछनीय गतिविधियों में शामिल होने की संभावना है। और शैक्षिक संस्थान के लिए अनुशासन और कानून और व्यवस्था की समस्याएं पैदा करता है। संविधान के अनुच्छेद 29 या अधिनियम की धारा 5 में निहित कुछ भी किसी भी तरह से इस तरह के अंतर्निहित अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है।

(अनुच्छेद 6)

अभिनिर्धारित किया कि, जबकि एक उम्मीदवार पर जुर्माना लगाने की कार्यवाही आवश्यक रूप से अर्ध-न्यायिक है, किसी छात्र को शैक्षणिक संस्थान में भर्ती देने या अस्वीकार करने का कार्य केवल प्रशासनिक है। प्राकृतिक न्याय के नियम उस प्रकार के मामले में लागू नहीं होते हैं। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि राज्य के स्वामित्व वाले या राज्य सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान द्वारा मनमाने, मनमौजी या सनकी आधार पर एक योग्य उम्मीदवार को भर्ती देने से इनकार किया जा सकता है।

(अनुच्छेद 7)

अभिनिर्धारित किया कि, अधिनियम की अनुसूची-I में उल्लिखित अध्यादेश II के खंड 2 के उप-खंड (1) के दायरे के साथ-साथ परंतुक खंड के शुरुआती शब्दों के अधीन हैं, अर्थात, "भर्ती के लिए उपर्युक्त समिति के निर्णयों के अनुरूप"। किसी भी विषय में मास्टर ऑफ आर्ट्स के पाठ्यक्रम में एक उम्मीदवार को भर्ती देने के लिए विभाग के प्रमुख की शक्ति का उपयोग भर्ती के लिए समिति के

निर्णयों के अनुरूप किया जाना चाहिए। अध्यादेश के खंड 1 के उपखंड (2) के मद (क) में भर्ती समिति को उन सिद्धांतों को निर्धारित करने या अनुमोदित करने का कर्तव्य सौंपा गया है जिन पर भर्ती किया जाना है। कदाचार आदि के कारण दंडित किए गए छात्र को भर्ती देने से इनकार करने के समिति के प्रासंगिक निर्णय अध्यादेश II के खंड 1 (2) (ए) और (सी) के तहत समिति में निहित अधिकार के भीतर आते हैं। इसलिए, भर्ती समिति द्वारा निर्धारित भर्ती की उक्त शर्त को अमान्य नहीं ठहराया जा सकता है। यह विश्वविद्यालय अध्यादेश के अध्यादेश-II का अंतर-संस्करण है।

(अनुच्छेद 9)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत याचिका में अनुरोध किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 1970 द्वारा पारित 31 अगस्त, 1970 के आदेश को रद्द करते हुए सर्टिओरी या किसी अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश की प्रकृति में एक रिट जारी की जाए। 2 और आगे प्रार्थना करता है कि इस रिट याचिका के निर्णय तक आक्षेपित आदेश के संचालन पर रोक लगाते हुए एक अंतरिम आदेश जारी किया जाए।

आर.एस. मित्तल और आई.एस. बलहारा, याचिकाकर्ता की ओर से वकील ।

जे.एल. गुप्ता, और ओ.पी. होशियारपुरी, प्रतिवादियों के लिए वकील ।

निर्णय

न्यायमूर्ति नरूला– 1. देव सिंह याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत इस अदालत से प्रतिवादी नंबर 2 के संचार को रद्द करने का निर्देश देने की मांग की, जो 31 अगस्त, 1970 को पहले प्रतिवादी विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग के प्रमुख हैं। (रिट याचिका के अनुलग्नक 'ए') जिससे याचिकाकर्ता को सूचित किया गया कि एमए अर्थशास्त्र पाठ्यक्रम में उसका अनंतिम भर्ती नियमित नहीं किया जा सकता है और इसलिए, याचिकाकर्ता उसके द्वारा जमा की गई फीस की वापसी के लिए आवेदन कर सकता है। याचिकाकर्ता के साथ-साथ प्रतिवादियों द्वारा दायर विभिन्न हलफनामों से एकत्र किए गए इस याचिका को दायर करने के लिए तथ्यों पर पहले ध्यान दिया जा सकता है।

2. याचिकाकर्ता कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में B.Sc (ऑनर्स) का छात्र था, लेकिन अप्रैल, 1967 में वह परीक्षा नहीं दे सका, क्योंकि वह परीक्षा में बैठने के लिए न्यूनतम व्याख्यान की संख्या से कम था। इस तरह की स्थिति में, विश्वविद्यालय के प्रासंगिक विनियमों ने उन्हें अगले सत्र के तीन कार्यकालों, अर्थात् जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर, 1967 और जनवरी से अप्रैल, 1968 में एक आकस्मिक छात्र के रूप में शामिल होने की अनुमति दी। वह 31 दिसंबर, 1967 को समाप्त होने वाले पहले दो कार्यकालों में शामिल हुए और अपने पाठ्यक्रम पूरे किए। इससे पहले कि वह जनवरी से अप्रैल, 1968 के कार्यकाल (तीसरे कार्यकाल) में शामिल हो पाते, जनवरी, 1968 में विश्वविद्यालय में हड़ताल हुई। यह आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता ने हड़तालियों की गतिविधियों में भाग लिया जो हिंसक हो गई थी। उन छात्रों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का सवाल, जिन पर कथित रूप से हिंसक होने का आरोप लगाया गया था, 11 जनवरी, 1968 को विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद द्वारा निर्णय लिया गया था। अकादमिक परिषद की उपर्युक्त बैठक की कार्यवाही से संबंधित उद्धरण की एक प्रति इस मामले के रिकॉर्ड पर प्रतिवादी संख्या 2 के 28 सितंबर, 1970 के हलफनामे के अनुलग्नक के रूप में रखी गई है। परिषद की बैठक के कार्यवृत्त इस प्रकार हैं -

> "कुलपति ने विश्वविद्यालय में आंतरिक मूल्यांकन प्रणाली को समाप्त करने की छात्रों की मांग का बैक-ग्राउंड दिया। कुरुक्षेत्र के राजकीय महाविद्यालय के छात्र 8 जनवरी, 1968 को बिना किसी पूर्व सूचना के हड़ताल पर चले गए थे। उनकी मांगों में से एक आंतरिक मूल्यांकन को समाप्त करना था। कुलपति ने राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य के माध्यम से छात्रों को आश्वासन दिया था कि यह मामला पहले से ही विश्वविद्यालय के विचाराधीन है और 18 जनवरी, 1968 को होने वाली अकादमिक परिषद की अगली बैठक में इस पर विचार किए जाने की संभावना है। छात्रों ने हड़ताल जारी रखी। 9 जनवरी, 1968 को उनकी अपील पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय छात्रसंघ की सर्वोच्च परिषद ने भी पूरे छात्र-निकाय को हड़ताल पर जाने का आह्वान किया। छात्र-नेताओं को निवास, स्वास्थ्य और अनुशासन बोर्ड की एक बैठक में आमंत्रित किया गया था, जहां उन्होंने कहा कि हालांकि आंतरिक मूल्यांकन को समाप्त करना उनकी मुख्य मांग थी, फिर भी वे हड़ताल जारी रखेंगे, भले ही विश्वविद्यालय

इसे समाप्त करने का फैसला करे। 10 जनवरी, 1968 को छात्रों का आंदोलन हिंसक हो गया। उन्होंने आर्ट्स फैकल्टी बिल्डिंग में कॉमन रूम का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, जहां यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशनल फाउंडेशन, नई दिल्ली के निदेशक डॉ डब्ल्यू रॉबर्ट होम्स का व्याख्यान चल रहा था। छात्रों के प्रदर्शन की हिंसक प्रकृति को देखते हुए, व्याख्यान को अचानक समाप्त करना पड़ा और मुख्य अतिथि को इमारत से बाहर निकालना पड़ा। शाम को कुलपति ने आंतरिक मूल्यांकन योजना को समाप्त करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए विभागों के प्रमुखों और कॉलेजों के प्राचार्यों की एक बैठक बुलाई। इस बैठक में विश्वविद्यालय सहकारी स्टोर और बुकशॉप से प्राप्त दो पत्रों के बारे में भी सूचित किया गया था, जिसमें उन्होंने सूचित किया था कि छात्रों ने शॉपिंग सेंटर में तोड़फोड़ करने का फैसला किया था। इस बैठक में कुलपति को सलाह दी गई कि वे विश्वविद्यालय परिसर में जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस सुरक्षा प्राप्त करने के लिए तत्काल कदम उठाएं। इसके बाद 11 जनवरी को अकादमिक परिषद की आपात बैठक बुलाने और इस मामले पर निर्णय लेने का निर्णय लिया गया। इस तथ्य को छात्रों को सूचित किया गया था। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने शाम को जुलूस निकाला, कुलपति के आवास की ओर मार्च किया और खिड़की-शीशे, बिजली के बल्ब/ट्यूब तोड़ने लगे और अन्य संपत्ति को नुकसान पहुंचाने लगे। ऊपर उल्लिखित विभागाध्यक्षों/प्रधानाचार्यों की सलाह के बाद सतर्क हुई पुलिस को बुलाया गया और छात्रों की भीड़ कुलपति के आवास से दूर चली गई। उनमें से कुछ प्रशासनिक ब्लॉक में गए, पीए से वी.सी. के कार्यालय में फाइलें जला दीं: और ए: आर: आईएल के कार्यालय और कुछ टाइपराइटर सहित अन्य विश्वविद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। शॉपिंग सेंटर में पुलिस तैनात होने के बावजूद छात्रों ने लगभग पूरी रात अपनी हिंसक कार्रवाई जारी रखी और वहां पुलिस की मौजूदगी के कारण ही दुकानों को बचाया जा सका। कुलपति ने आगे बताया कि निम्नलिखित छात्रों को गंभीर कदाचार, विश्वविद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, अनुशासनहीनता में लिप्त होने और अन्य छात्रों को हिंसा के कृत्यों के लिए उकसाने के लिए निष्कासित किया गया है: –

(1) श्री नरिंदर पॉल सिंह, बी.एससी. (ऑनर्स) रसायन विज्ञान तृतीय वर्ष।

(2) श्री सीता राम वोहरा, बी.एससी. (पास) तृतीय वर्ष।

(3) श्री विनोद सैनी, बी.एससी. (ऑनर्स) रसायन विज्ञान तृतीय वर्ष।

(4) श्री प्रेम सरूप भारद्वाज, बी.एससी. (ऑनर्स) भौतिकी तृतीय वर्ष।

(5) श्री देवा सिंह, बी.एससी. (ऑनर्स) भौतिकी तृतीय वर्ष।

(6) श्री मोहिंदर सिंह दहिया, एम.ए. (पूर्ववर्ती) राजनीति विज्ञान।"

देवा सिंह याचिकाकर्ता (जिसका नाम ऊपर क्रम संख्या 5 में है) उन छात्रों में से एक था, जिन्हें गंभीर कदाचार और अनुशासनहीनता आदि के दोषी पाए जाने पर निष्कासित करने का निर्देश दिया गया था। तीन साल के लिए निष्कासन का आदेश याचिकाकर्ता को 12 जनवरी, 1968 को सूचित किया गया था। इसके बाद उन्होंने विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति श्री वर्मा से संपर्क किया। उनका दावा है कि उन्होंने कुलपति को समझाया था कि उन्होंने हड़ताल में भाग नहीं लिया था क्योंकि वह जनवरी, 1968 की शुरुआत में विश्वविद्यालय के छात्र भी नहीं थे। कुलपति पर आरोप है कि उन्होंने याचिकाकर्ता को अपनी सदाशयता साबित करने के लिए कहा था, और यह दावा किया गया है कि याचिकाकर्ता के प्रयासों और संसद सदस्य श्री जीएल नंदा के अच्छे कार्यालयों के माध्यम से, याचिकाकर्ता हड़ताली छात्रों के नेताओं और विश्वविद्यालय के अधिकारियों के बीच एक समझौता कराने में सक्षम था, जिसके परिणामस्वरूप हड़ताल वापस ले ली गई थी। हम वास्तव में इस बात से चिंतित नहीं हैं कि ये आरोप सही हैं या नहीं। तथ्य यह है कि हालांकि याचिकाकर्ता को कदाचार और अनुशासनहीनता के कथित कृत्यों से मुक्त करने का कोई आदेश उनके पक्ष में पारित नहीं किया गया था, लेकिन उन पर लगाए गए दंड के आदेश को दरकिनार कर दिया गया क्योंकि कुलपति ने 31 जनवरी, 1968 के अपने आदेश से निष्कासन के आदेश को वापस ले लिया। इसके बाद, याचिकाकर्ता को 5 फरवरी, 1968 को बीएससी (ऑनर्स) कोर्स के तीसरे टर्म में भर्ती कराया गया और याचिकाकर्ता ने अप्रैल, 1969 में उक्त परीक्षा को थर्ड डिवीजन में उत्तीर्ण किया। इस तरह के पाठ्यक्रम की अनुमति देने वाले विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार, याचिकाकर्ता ने अप्रैल, 1970 में आयोजित परीक्षा में गणित के साथ B.Sc (ऑनर्स) में अपने विभाजन में सुधार किया,

जब उसे 16 जुलाई, 1970 को घोषित परिणाम के अनुसार द्वितीय श्रेणी में रखा गया था। यद्यपि साधारण पाठ्यक्रम में एमए कक्षाओं में भर्ती का समय 31 जुलाई, 1970 को समाप्त हो गया, फिर भी छात्रों को 15 अगस्त, 1970 तक विलंब शुल्क के भुगतान पर विभागाध्यक्ष द्वारा भर्ती दिया जा सकता था।

3. यद्यपि पक्षकारों ने याचिकाकर्ता द्वारा किसी अन्य विश्वविद्यालय में भर्ती प्राप्त करने के प्रयास करने या न करने के बारे में अपनी दलीलों में कुछ विवाद उठाए हैं, और उन विश्वविद्यालयों में भर्ती के लिए समय समाप्त होने के कारण वह ऐसे प्रयासों में सफल होने में विफल रहा है, लेकिन वे मामले वर्तमान याचिका में विवाद के बिंदुओं को तय करने के लिए प्रासंगिक प्रतीत नहीं होते हैं। तथ्य यह है कि 13 अगस्त, 1970 को, याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी-विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र पाठ्यक्रम में एमए में भर्ती के लिए डुप्लिकेट में अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। एक बार फिर, यह विवाद में नहीं है कि याचिकाकर्ता के पास अर्थशास्त्र में एमए पाठ्यक्रम में भर्ती के लिए सभी अपेक्षित शैक्षणिक योग्यताएं थीं। 14 अगस्त, 1970 को, विभाग के प्रमुख ने याचिकाकर्ता को अनंतिम रूप से स्वीकार कर लिया, हालांकि उन्होंने कहा कि वह उस स्तर पर उन्हें भर्ती की अनुमति देने के लिए अनिच्छुक थे। जिन परिस्थितियों में उन्होंने याचिकाकर्ता के अनंतिम भर्ती का आदेश दिया, उन्हें 28 सितंबर, 1970 को विभागाध्यक्ष के हलफनामे के पैराग्राफ 3 में निम्नलिखित शब्दों में समझाया गया है: –

> “जब याचिकाकर्ता 14 अगस्त, 1970 को एमए अर्थशास्त्र पाठ्यक्रम में भर्ती के लिए याचिकाकर्ता के समक्ष उपस्थित हुआ, तो याचिकाकर्ता ने याचिकाकर्ता से कहा कि उसे लगता है कि याचिकाकर्ता के पूर्ववृत्त के खिलाफ कुछ था, जबकि वह B.Sc (ऑनर्स) का छात्र था। इस विश्वविद्यालय में भौतिक विज्ञान, और इसलिए, जब तक उसे स्थिति की पुष्टि नहीं हो जाती, तब तक उसे स्वीकार करने के लिए अनिच्छुक था। याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया कि इस विश्वविद्यालय में इस तरह के और इसी तरह के मामलों में प्रथा को ध्यान में रखते हुए, उसे जांच और उसके मामले को अंतिम रूप देने तक अनंतिम रूप से भर्ती दिया जा सकता है, खासकर क्योंकि 14 अगस्त अंतिम कार्य दिवस था

जब तक याचिकाकर्ता को प्रतिवादी के आदेशों के तहत भर्ती किया जा सकता था। इसके बाद याचिकाकर्ता ने याचिकाकर्ता के अनुरोध पर सहमति व्यक्त की और उसे अस्थायी रूप से स्वीकार कर लिया। याचिकाकर्ता ने याचिकाकर्ता के भर्ती फॉर्म पर अपने आदेशों 'अनंतिम रूप से भर्ती करें' को डुप्लिकेट में दर्ज किया, एक प्रति अपने कार्यालय के लिए रखी, और दूसरी प्रति (शुल्क अनुभाग के लिए) याचिकाकर्ता को सौंप दी ताकि वह अपनी फीस जमा कर सके। याचिकाकर्ता का यह कहना बिल्कुल गलत है कि याचिकाकर्ता ने अपनी फीस जमा करने के लिए उसे सौंपे जाने से पहले याचिकाकर्ता के भर्ती फॉर्म पर अपने आदेशों को 'अस्थायी रूप से स्वीकार करें' दर्ज नहीं किया था।

इसके बाद दूसरे प्रतिवादी ने उसी दिन विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार से बात की और 17 अगस्त, 1970 को रजिस्ट्रार को लिखा, जैसा कि नीचे दिया गया है : –

"आपको याद होगा कि 14 अगस्त को श्री देवा सिंह को अस्पताल में भर्ती कराने के संबंध में आपके साथ मेरी बातचीत हुई थी। एमए अर्थशास्त्र पाठ्यक्रम। मैंने उसे अस्थायी रूप से भर्ती किया है। शायद आप अपने कार्यालय या प्रॉक्टर से यह पता लगाएंगे कि क्या उसके भर्ती के प्रयोजनों के लिए लड़के के खिलाफ कुछ भी नहीं है। 8 जुलाई, 1970 को प्रॉक्टर के पत्र में उनका नाम नहीं है। शायद आप भी इस मामले को कुलपति के ध्यान में लाएंगे। मैं भर्ती के लिए देवा सिंह के आवेदन को संलग्न कर रहा हूं।

कुलपति ने प्रॉक्टर से याचिकाकर्ता के मामले के बारे में रिपोर्ट तलब की। नए प्रॉक्टर (श्री जे. एल. गुप्ता ने कहा है कि इस बीच, पुराने प्रॉक्टर को नए प्रॉक्टर द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था) ने प्रासंगिक रिकॉर्ड को देखा और निम्नलिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की: –

"प्रॉक्टर की फाइल को देखते हुए, मैं पाता हूं कि श्री देवा सिंह, एक (B.Sc (ऑनर्स) के छात्र) 1968 में भौतिकी एचआई को तत्कालीन कुलपति श्री डीसी वर्मा ने निवास, स्वास्थ्य और अनुशासन बोर्ड की सिफारिश पर निष्कासित कर दिया था। उनके खिलाफ गंभीर कदाचार, विश्वविद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, अनुशासनहीनता में लिप्त होने और अन्य छात्रों को हिंसा के कृत्यों के लिए उकसाने के आरोप थे। निष्कासन का आदेश 11 जनवरी,

1968 को रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया था। कुलपति ने 31 जनवरी, 1968 को श्री देवा सिंह के खिलाफ निष्कासन का आदेश वापस ले लिया। पहले के आदेश को पलटने का कोई कारण नहीं बताया गया है।"

जब उपर्युक्त जांच से यह पाया गया कि याचिकाकर्ता को एक समय में गंभीर कदाचार, विश्वविद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और अनुशासनहीनता में लिप्त होने और अन्य छात्रों को हिंसा के कृत्यों के लिए उकसाने का दोषी ठहराया गया था, तो मामले को अकादमिक परिषद को सूचित किया गया था जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 12 के तहत अनुशासन के संबंध में अंतिम प्राधिकरण है (इसके बाद अधिनियम कहा जाता है)। यह उपर्युक्त परिस्थितियों में था कि अकादमिक परिषद ने 29 अगस्त, 1970 को निम्नलिखित शब्दों में आक्षेपित आदेश पारित किया:-

"श्री देवा सिंह ने 1968 की हड़ताल के दौरान सक्रिय रूप से भाग लिया था जब कुलपति के आवास पर हमला किया गया था और रजिस्ट्रार ^ कार्यालय के कुछ अभिलेखों में आग लगा दी गई थी। उसे निष्कासित कर दिया गया। हालांकि, कुलपति द्वारा निष्कासन आदेश वापस ले लिया गया था, जाहिर है कि दबाव में, श्री देवा सिंह को दोषमुक्त नहीं किया गया था। उसे भर्ती नहीं किया जा सकता। उसका अनंतिम भर्ती रद्द कर दिया गया है।"

यह उपरोक्त उद्धृत आदेश के अनुपालन में था कि प्रतिवादी संख्या 2 ने याचिकाकर्ता को पत्र अनुलग्नक 'ए' जारी किया। यह रिट याचिका तब 15 सितंबर, 1970 को दायर की गई थी। विश्वविद्यालय के मूल लिखित बयान (उसके रजिस्ट्रार के हलफनामे) को देखने के बाद, याचिका 16 सितंबर, 1970 को स्वीकार कर ली गई थी, लेकिन इसकी तत्काल सुनवाई का निर्देश देने वाले आदेश के मद्देनजर, याचिकाकर्ता को कोई अंतरिम राहत नहीं दी गई थी।

4. याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए प्रस्ताव की अग्रिम सूचना के जवाब में दायर 15 सितंबर, 1970 के रजिस्ट्रार के हलफनामे में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह कहा गया था कि अधिनियम की धारा 15 और 16 के तहत बनाए गए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अध्यादेश II के तहत गठित भर्ती

समिति ने विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में छात्रों के भर्ती के लिए प्रक्रिया प्रदान करते समय निम्नलिखित शर्तें निर्धारित की थीं: –

'जिन छात्रों को कदाचार के कारण दंडित किया गया है, उनके मामले में भर्ती के लिए उनके मामलों को कुलपति, विभागाध्यक्ष/प्राचार्य और मुख्य वार्डन की एक समिति के पास भेजा जाएगा, जो प्रत्येक मामले का उसके गुण-दोष के आधार पर फैसला करेगी।

याचिकाकर्ता की प्रतिकृति में, यह कहा गया था कि अध्यादेश II के खंड 2 के तहत, एमए पाठ्यक्रमों में भर्ती के मामले में विभाग का प्रमुख अंतिम प्राधिकारी है, और अधिनियम की धारा 16 (2) के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उक्त खंड में संशोधन या निरसन नहीं किया गया था, और इस तरह के किसी भी संशोधन या निरसन के अभाव में, उक्त अध्यादेश बाध्यकारी है और अध्यादेश के विपरीत भर्ती समिति का कोई भी निर्णय कानून की नजर में नहीं है। उस स्तर पर आपत्ति की गई थी, कि प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा कोई हलफनामा दायर नहीं किया गया था। हालांकि, बाद में 28 सितंबर, 1970 को दायर किए गए दूसरे प्रतिवादी के हलफनामे को देखते हुए उस आपत्ति को अप्रासंगिक बना दिया गया है। प्रतिकृति के जवाब में, विश्वविद्यालय के सहायक रजिस्ट्रार ने 22 सितंबर, 1970 को एक और हलफनामा दायर किया, जिसके दौरान यह कहा गया था कि भर्ती पत्र की दोनों प्रतियों पर विभाग के प्रमुख द्वारा अपनी लिखावट में "अनंतिम रूप से स्वीकार करें" शब्द लिखे गए थे और यदि याचिकाकर्ता हड़ताल के कारण तीसरे कार्यकाल के लिए शुल्क का भुगतान करने में सक्षम नहीं था, फिर भी वह विश्वविद्यालय का छात्र नहीं रहा था, और इसलिए, हड़ताल में सक्रिय भाग लेने के कारण उसके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। आगे इस बात पर जोर दिया गया कि किसी भी छात्र को भर्ती का कोई कानूनी अधिकार नहीं है और वर्तमान मामले में भर्ती से इनकार किए जाने से याचिकाकर्ता के किसी भी कानूनी अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है। यह भी स्पष्ट किया गया कि याचिकाकर्ता के भर्ती को नियमित करने से इनकार करते हुए उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के माध्यम से कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। याचिकाकर्ता का 25 सितंबर, 1970 का एक और हलफनामा दायर किए जाने के बाद दूसरे प्रतिवादी ने 28 सितंबर, 1970 को अपना रिटर्न दाखिल किया।

5. श्री आर एस मित्तल, जिन्होंने इस मामले में पूरी तरह से और कुशलता पूर्वक बहस की है, ने तर्क दिया है -

1. संविधान के अनुच्छेद 29 के खंड (2) ने एक मौलिक अधिकार प्रदान किया है और अधिनियम की धारा 5 ने याचिकाकर्ता को प्रतिवादी विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र में एमए पाठ्यक्रम में भर्ती पाने के लिए एक वैधानिक अधिकार प्रदान किया है और उक्त पाठ्यक्रम में याचिकाकर्ता के भर्ती को नियमित करने से विश्वविद्यालय के अधिकारियों के इनकार ने उसके उक्त मौलिक और वैधानिक अधिकार का उल्लंघन किया है;

2. याचिकाकर्ता के अनंतिम भर्ती को नियमित नहीं करने का निर्णय लेने से पहले, विश्वविद्यालय की भर्ती समिति याचिकाकर्ता को यह साबित करने का अवसर देने के लिए बाध्य थी कि जिन आरोपों के कारण उनके नियमित भर्ती से इनकार करने की मांग की गई थी, वे तथ्यात्मक रूप से गलत थे।;

3. भर्ती समिति द्वारा निर्धारित शर्त (रजिस्ट्रार के हलफनामे के पैराग्राफ 5-ए में पुन: प्रस्तुत, और इस फैसले के पहले भाग में भी उद्धृत किया गया है) कि छात्रों के भर्ती के लिए मामले, जिन्हें कदाचार के कारण दंडित किया गया था, को कुलपति की एक समिति को भेजा जाना था, विभागाध्यक्ष/प्राचार्य और मुख्य वार्डन द्वारा भर्ती के प्रश्न का निर्णय लेना विश्वविद्यालय के अध्यादेशों के अध्यादेश-II के खंड 2 से बाहर है, क्योंकि यह किसी छात्र को एमए पाठ्यक्रम में भर्ती देने के विभाग के प्रमुख के अधिकार को अंतिम रूप देता है; और

4. यहां तक कि अगर विश्वविद्यालय की भर्ती समिति द्वारा निर्धारित भर्ती के लिए उपर्युक्त शर्त और प्रक्रिया को वैध माना जाता है, तो याचिकाकर्ता के मामले को उक्त समिति को नहीं भेजा जा सकता है क्योंकि याचिकाकर्ता उस शर्त के कुचक्र के भीतर नहीं आ सकता था क्योंकि याचिकाकर्ता को कदाचार के कारण कभी "दंडित" नहीं किया गया था। चूंकि उन्हें पहले दी गई निष्कासन की सजा को बाद में कुलपति द्वारा

वापस ले लिया गया था, जो इस मामले में अंतिम प्राधिकारी थे।

6. संविधान के अनुच्छेद 29 का खंड (2) निम्नलिखित शब्दों में है: –

> "किसी भी नागरिक को केवल धर्म, नस्ल, जाति, भाषा या उनमें से किसी के आधार पर राज्य द्वारा बनाए गए किसी भी शैक्षणिक संस्थान में भर्ती या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने से इनकार नहीं किया जाएगा।."

अधिनियम की धारा 5, जो संविधान के अनुच्छेद 29 के खंड (2) में निर्धारित सिद्धांतों का केवल प्रक्षेपण है, निम्नानुसार है: : –

> "विश्वविद्यालय लिंग, राष्ट्रीयता, नस्ल, पंथ, जाति या वर्ग के बावजूद सभी व्यक्तियों के लिए खुला रहेगा, और सदस्यों, छात्रों, शिक्षकों, श्रमिकों या किसी अन्य संबंध में भर्ती या नियुक्ति में धार्मिक विश्वास या पेशे के बारे में कोई परीक्षा या शर्त नहीं लगाई जाएगी, और कोई भी लाभ स्वीकार नहीं किया जाएगा, जो विश्वविद्यालय के अधिकारियों की राय में, इसमें इस प्रावधान की भावना और उद्देश्य के विपरीत शर्तें या दायित्व शामिल हैं।

जहां तक याचिकाकर्ता को धर्म, नस्ल, जाति या भाषा के आधार पर भर्ती से वंचित नहीं किया गया है, यह संभवतः तर्क नहीं दिया जा सकता है कि अनुच्छेद 29 के खंड (2) का किसी भी तरह से उल्लंघन किया गया है। याचिकाकर्ता के लिए संवैधानिक प्रावधान में राज्य द्वारा बनाए गए या सहायता प्राप्त प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान में भर्ती की गारंटी को पढ़ना गलत है। यह अनुच्छेद नागरिकों को केवल एक नकारात्मक मौलिक अधिकार प्रदान करता है। इसमें परिकल्पना की गई है कि यद्यपि किसी भी राज्य शैक्षिक संस्थान में भर्ती को निस्संदेह वैध आधार पर अस्वीकार कर दिया जा सकता है, लेकिन इसे केवल धर्म, नस्ल, जाति, भाषा या उनमें से किसी के आधार पर कभी भी अस्वीकार नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद किसी भी संस्थान में भर्ती का पूर्ण अधिकार प्रदान नहीं करता है। इसी तरह अधिनियम की धारा 5 केवल लिंग, राष्ट्रीयता, नस्ल, पंथ, जाति या वर्ग के बावजूद सभी व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय के दरवाजे खोलती है। हालांकि, धारा 5 में कही गई किसी भी बात का मतलब यह नहीं हो सकता है कि विश्वविद्यालय को उन छात्रों को भी भर्ती देना चाहिए जो अनुशासनहीनता

और संदिग्ध व्यवहार में लिप्त होने की संभावना रखते हैं। वास्तव में देश में कोई भी शैक्षणिक संस्थान वर्तमान में उन सभी उम्मीदवारों को भर्ती नहीं दे सकता है, जो भर्ती के लिए खुद को पेश करते हैं। इसलिए, सभी शैक्षिक संस्थाओं द्वारा शैक्षिक और अन्य योग्यताओं, आयु आदि के आधार पर विभिन्न पाठ्यक्रमों में भर्ती के एक समान मानकों का पालन करने में सक्षम बनाने के लिए वैध और उचित प्रतिबंध आवश्यक रूप से निर्धारित किए जाने हैं। जब तक प्रत्येक छात्र को भर्ती की गारंटी नहीं दी जाती है, तब तक यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि शैक्षिक संस्थानों में अनुशासन बनाए रखने के लिए, प्रासंगिक नियम या विनियमन के अभाव में भी भर्ती के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के पास एक योग्य उम्मीदवार को भर्ती देने से इनकार करने का अंतर्निहित अधिकार है, यदि भर्ती प्राधिकारी संतुष्ट हैं कि वह इस अर्थ में वांछनीय व्यक्ति नहीं है कि वह अवांछनीय गतिविधियों में शामिल होने की संभावना है। और शैक्षिक संस्थान के लिए अनुशासन और कानून और व्यवस्था की समस्याएं पैदा करता है। संविधान के अनुच्छेद 29 या अधिनियम की धारा 5 में निहित कुछ भी किसी भी तरह से इस तरह के अंतर्निहित अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। इसलिए, मैं श्री मित्तल के प्रथम विवाद में कोई बल खोजने में असमर्थ हूं।

7. अपनी दूसरी दलील के समर्थन में, याचिकाकर्ता के वकील ने **हाई स्कूल और इंटरमीडिएट एजुकेशन, यूपी बोर्ड और अन्य बनाम कुमारी चित्रा श्रीवास्तव और अन्य**[1] में सुप्रीम कोर्ट के अपने लॉर्डशिप के हालिया फैसले पर भरोसा किया, यह किसी शैक्षणिक संस्थान में किसी उम्मीदवार को भर्ती देने से इनकार करने का मामला नहीं था, बल्कि एक ऐसे उम्मीदवार की परीक्षा रद्द करके जुर्माना लगाने का मामला था, जिसे परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई थी और वास्तव में उसने इस आधार पर सभी प्रश्न-पत्रों का उत्तर दिया था कि उम्मीदवार को कोई कारण बताओ नोटिस दिए बिना व्याख्यान में उपस्थिति में कमी के बावजूद उसे परीक्षा में भर्ती कराया गया था। उन परिस्थितियों में, यह माना गया था कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड द्वारा उम्मीदवार पर लगाया गया जुर्माना प्राकृतिक न्याय के नियमों के उल्लंघन के कारण दूषित था। यह माना गया था कि परीक्षा रद्द करने में, बोर्ड अर्ध-न्यायिक कार्यों का प्रयोग कर रहा था और यह उसकी

[1] ए.आई.आर. 1970 एस.सी. 1039.

परीक्षा रद्द करने का दंड देने से पहले उम्मीदवार को कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए बाध्य था। इस संबंध में आगे कहा गया कि जुर्माना लगाने से पहले कारण बताओ नोटिस जारी करने का कर्तव्य किसी विशेष मामले में उत्पन्न होता है या नहीं, यह प्राधिकरण की संतुष्टि पर निर्भर नहीं करता है कि दंडित किए जाने वाले व्यक्ति के पास कोई बचाव नहीं है, बल्कि पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश की प्रकृति पर निर्भर करता है। लॉर्डशिप का मानना था कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत कुछ लोगों के लिए बोझिल हैं, लेकिन यह कीमत, वास्तव में एक छोटी सी कीमत - अगर हम कानून के शासन द्वारा शासित समाज चाहते हैं, तो भुगतान करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड के आदेश की वैधता या औचित्य पर उच्च न्यायालय द्वारा जारी रिट के खिलाफ अपील में फैसला सुनाने से इनकार कर दिया। **कुमारी चित्रा श्रीवास्तव और अन्य के मामले में** (सुप्रा) सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून विभिन्न कारणों से याचिकाकर्ता का लाभ नहीं उठा सकता है। जबकि एक उम्मीदवार पर जुर्माना लगाने की कार्यवाही आवश्यक रूप से अर्ध-न्यायिक है, किसी छात्र को शैक्षणिक संस्थान में भर्ती देने या अस्वीकार करने का कार्य केवल प्रशासनिक है। प्राकृतिक न्याय के नियम उस प्रकार के मामले में लागू नहीं होते हैं। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि राज्य के स्वामित्व वाले या राज्य सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान द्वारा मनमाने, मनमौजी या सनकी आधार पर एक योग्य उम्मीदवार को भर्ती देने से इनकार किया जा सकता है। दूसरे, यह महत्वपूर्ण है कि उच्चतम न्यायालय के लॉर्डशिप ने यह इंगित करने के लिए विशिष्ट सावधानी बरती कि उन्हें यह निर्णय लेने के लिए नहीं लिया जाना चाहिए कि उनके द्वारा प्रतिपादित नियम तब भी लागू होगा जब किसी उम्मीदवार को परीक्षा में भर्ती देने से इनकार कर दिया जाता है। किसी पाठ्यक्रम या परीक्षा में भर्ती से इनकार करने के सामान्य नियम व्यावहारिक रूप से समान हैं। तीसरा, यह नहीं कहा जा सकता है कि इस मामले में प्राकृतिक न्याय के किसी भी नियम का वास्तव में उल्लंघन किया गया था। यह याचिकाकर्ता का स्वीकार किया गया मामला है कि उन्हें 11 जनवरी, 1968 को कदाचार का दोषी ठहराया गया था, और उसी के लिए दंडित किया गया था और आदेश अगले दिन उन्हें सूचित किया गया था। भले ही विश्वविद्यालय की समिति द्वारा निर्धारित भर्ती की शर्त याचिकाकर्ता पर लागू होती है या नहीं, यह प्रतिवादी विश्वविद्यालय के लिए खुला था कि वह याचिकाकर्ता को

भर्ती देने से इनकार कर दे, भले ही उसे सजा वापस ले ली गई हो, अगर विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त उच्चाधिकार प्राप्त समिति शांति बनाए रखने के लिए किसी भी खतरे से आशंकित थी। याचिकाकर्ता के हाथों विश्वविद्यालय में शांति और व्यवस्था। यह महत्वपूर्ण है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ निर्णय लेने वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति की अध्यक्षता असम और नागालैंड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश डॉ. एसके दत्ता, उत्तरदाता विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति ने की थी, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से अच्छी तरह वाकिफ हैं।

8. न ही **गजाधर प्रसाद मिश्रा बनाम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति और अन्य**[2] इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ का फैसला याचिकाकर्ता को कोई लाभ नहीं पहुंचाते हैं। मित्तल ने उपर्युक्त मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अपने लॉर्डशिप की टिप्पणियों पर बहुत भरोसा किया कि किसी को भी मनमाने ढंग से विश्वविद्यालय में अध्ययन के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए और इस आशय से कि यह स्थापित कानून है कि शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार एक बुनियादी अधिकार है। प्रजातंत्र। तथ्यों और इस मामले की परिस्थितियों में, जिसके लिए विस्तृत संदर्भ पहले ही दिया जा चुका है, मुझे यह सुझाव देना भी असंभव लगता है कि याचिकाकर्ता को प्रतिवादी विश्वविद्यालय में "मनमाने ढंग से" भर्ती देने से इनकार कर दिया गया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की इस आशय की टिप्पणी कि कतिपय तथ्यों के वस्तुनिष्ठ निर्धारण से बचा नहीं जा सकता है, किसी छात्र को दंडित करने या न देने के प्रश्न का संदर्भ देती है न कि भर्ती के प्रश्न पर। पूर्वगामी कारणों से, मुझे श्री मित्तल के दूसरे तर्क को भी खारिज करने में कोई संकोच नहीं है।

9. जिस तीसरे आधार पर आक्षेपित आदेश पर हमला किया गया है, उसकी सराहना करने के लिए, अधिनियम के कुछ प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए अध्यादेशों आदि पर ध्यान देना आवश्यक है। अधिनियम की धारा 15(क) में विश्वविद्यालय में विद्याथयों के भर्ती और इस प्रकार उनके नामांकन के मामले में अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन अध्यादेश तैयार करने का प्रावधान है। धारा 16 (1) में कहा गया है कि अधिनियम के प्रारंभ होने पर विश्वविद्यालय के अध्यादेश वे होंगे जो अधिनियम

[2] ए.आई.आर. 1966 477.

की अनुसूची 1 में निर्धारित किए गए हैं। धारा 16 की उपधारा (2) विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद को किसी भी अध्यादेश में संशोधन करने, निरस्त करने या जोड़ने के लिए अधिकृत करती है, लेकिन, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान है कि छात्रों के भर्ती या नामांकन को प्रभावित करने वाला कोई अध्यादेश तब तक नहीं बनाया जाएगा जब तक कि ऐसे अध्यादेश का मसौदा अकादमिक परिषद द्वारा प्रस्तावित नहीं किया गया हो। अनुसूची I में अध्यादेश II [धारा 16 की उप-धारा (1) में संदर्भित] "भर्ती के लिए प्रक्रिया" शीर्षक है। उस अध्यादेश के खंड 1 में कहा गया है:–

“(1). विश्वविद्यालय में छात्रों के भर्ती को 'शिक्षा-समिति' (अकादमिक परिषद) की एक समिति द्वारा विनियमित किया जाएगा, जो इस उद्देश्य के लिए नियुक्त है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं: : –

(a) कॉलेजों के प्राचार्य,

(b) संकायों के डीन,

(c) 'शिक्षा-समिति' (अकादमिक परिषद) द्वारा दो वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त दो सदस्य, और

(d) रजिस्ट्रार

(2). उक्त समिति;

(a) उन सिद्धांतों का निर्धारण या अनुमोदन करना जिन पर भर्ती किया जाना है ;

(b) विभागों और कॉलेजों में <u>उपलब्ध होने वाले स्थानों की संख्या का पता लगाना</u> ; और

(c) भर्ती शुरू होने से पहले यथाशीघ्र निर्णय लें कि कॉलेजों और विभिन्न पाठ्यक्रमों में भर्ती लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या को किस प्रकार <u>विनियमित किया जाए।</u>.”

उक्त अध्यादेश के खंड 2 के प्रासंगिक भाग में निम्नानुसार कहा गया है: –

"(1) भर्ती के लिए उपर्युक्त समिति के निर्णयों के अनुरूप, और इसके बाद के प्रावधान के अनुसार, कॉलेज का प्रिंसिपल भर्ती के लिए छात्रों को पंजीकृत करेगा और उन छात्रों को भर्ती देगा, जिनके

पास अधिनियम, संविधियों या अध्यादेशों द्वारा निर्धारित भर्ती के लिए योग्यता है:

> बशर्ते कि बैचलर ऑफ आर्ट्स/साइंस (ऑनर्स), और मास्टर ऑफ आर्ट्स/साइंस/एजुकेशन के पाठ्यक्रमों में भर्ती पाने के इच्छुक छात्रों को भर्ती के लिए पंजीकृत किया जाएगा और संबंधित विभाग के प्रमुख द्वारा विश्वविद्यालय में भर्ती दिया जाएगा।"

श्री मित्तल का तर्क यह है कि अध्यादेश II के खंड 2 के उप-खंड (1) का परंतुक, संबंधित विभाग के प्रमुख को मास्टर ऑफ आर्ट्स के पाठ्यक्रम में भर्ती की शक्ति प्रदान करता है और विभाग के प्रमुख के अधिकार को छीनने या इसे कमजोर करने वाला कोई भी नियम या विनियमन उक्त परंतुक के विपरीत होगा। श्री मित्तल का यह तर्क भी गलत है। अध्यादेश II के खंड 2 के उप-खंड (1) के दायरे के साथ-साथ परंतुक खंड के शुरुआती शब्दों के अधीन हैं, अर्थात्, "भर्ती के लिए उपर्युक्त समिति के निर्णयों के अनुरूप। अर्थशास्त्र या किसी अन्य विषय में मास्टर ऑफ आर्ट्स के पाठ्यक्रम में एक उम्मीदवार को भर्ती देने के लिए विभाग के प्रमुख की शक्ति का उपयोग भर्ती के लिए समिति के निर्णयों के अनुरूप किया जाना चाहिए। अध्यादेश के खंड 1 के उपखंड (2) के मद (क) में भर्ती समिति को उन सिद्धांतों को निर्धारित करने या अनुमोदित करने का कर्तव्य सौंपा गया है जिन पर भर्ती किया जाना है। कदाचार आदि के कारण दंडित किए गए छात्र को भर्ती देने से मना करने के समिति के संगत निर्णय अध्यादेश II के खंड 1 (2) (ए) और (सी) के तहत समिति में निहित प्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। इसलिए, भर्ती समिति द्वारा निर्धारित भर्ती की उक्त शर्त को अमान्य नहीं ठहराया जा सकता है, यह विश्वविद्यालय अध्यादेश के अध्यादेश-II के अंतर्गत आता है। अन्यथा भी यह विभाग के प्रमुख हैं, जिन्होंने भर्ती की विस्तारित अवधि के अंतिम दिन याचिकाकर्ता को अंतिम भर्ती देने से इनकार कर दिया था, और उन्हें 28 सितंबर, 1970 को दूसरे प्रतिवादी के हलफनामे के पैराग्राफ 3 में विस्तृत परिस्थितियों में केवल अनंतिम भर्ती दिया था, और यह स्वयं विभाग के प्रमुख थे, याचिकाकर्ता के भर्ती को नियमित करने से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता को अपने हस्ताक्षर के तहत आक्षेपित पत्र भेजा गया था, हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह समिति के विचार-विमर्श से उस निर्णय में निर्देशित था, जिसे संभवतः इस मामले की परिस्थितियों में एक बाहरी विचार नहीं कहा जा सकता है। यह विभाग के प्रमुख थे, जिन्होंने याचिकाकर्ता को स्वीकार करने में संकोच किया। उन्होंने

स्वयं ही तत्काल रजिस्ट्रार से दूरभाष पर संपर्क किया और 17 अगस्त, 1970 के लिखित पत्र के साथ टेलीफोन पर हुए संवाद का अनुसरण किया। उन्होंने ही इस मामले को कुलपति के समक्ष रखा और प्रॉक्टर की फाइल से रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए कदम उठाए। वह स्वयं उस समिति के सदस्य थे जो आक्षेपित निर्णय पर पहुंची थी और उन्होंने स्वयं याचिकाकर्ता को अपनी फीस वापस लेने का अंतिम आदेश दिया था। इन परिस्थितियों में, यह न तो कहा जा सकता है कि समिति के पास उन प्रवेशों को नियंत्रित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है जो विभागाध्यक्ष द्वारा किए जाने हैं, न ही यह कहा जा सकता है कि अंतिम निर्णय स्वयं विभागाध्यक्ष के अलावा किसी अन्य ने दिया था।

10. यह मुझे विद्वान वकील के चौथे विवाद पर ले जाता है। श्री मित्तल का यह तर्क कि भर्ती समिति केवल ऐसे छात्र के मामले से निपट सकती है जिसे कदाचार के कारण दंडित किया गया था, और याचिकाकर्ता के मामले को समिति द्वारा नहीं निपटाया जा सकता था क्योंकि कुलपति द्वारा उसकी सजा वापस ले ली गई थी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि पहली नजर में बहुत आकर्षक लगता है। हालांकि, संबंधित निर्णय को वैधानिक प्रावधान की तरह नहीं माना जा सकता है। प्रावधान के पीछे की मंशा और उसके उद्देश्य और भावना को देखा जाना चाहिए। मोटे तौर पर, प्रावधान का उद्देश्य यह है कि विश्वविद्यालय की एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति (जिसकी अध्यक्षता स्वयं कुलपति से कम नहीं है, जिसमें विभाग के प्रमुख सदस्य थे और मुख्य वार्डन ने भी भाग लिया था) को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एक छात्र, जो पहले कदाचार का दोषी था, को मामले को पूरी तरह से देखे बिना फिर से विश्वविद्यालय में भर्ती नहीं मिलना चाहिए। “आम तौर पर सजा का मतलब किसी अपराध के लिए पीड़ा उठाना होता है, लेकिन भले ही सजा का वह हिस्सा जिसमें सजा शामिल है, को छोड़ दिया जाता है, फिर भी संबंधित छात्र को कदाचार के कारण दंडित किया जाना चाहिए, अगर उसे संबंधित कदाचार से मुक्त नहीं किया गया है, और यदि सजा हटाए जाने के बावजूद उस आधार पर उसकी दोषसिद्धि बनी हुई है। यह विश्वविद्यालय के अधिकारियों के प्रासंगिक निर्णय की व्याख्या करने का एकमात्र व्यावहारिक तरीका है। इसके अलावा, जैसा कि पहले ही कहा गया है, मेरी राय में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि याचिकाकर्ता का मामला निर्णय के वाक्यांशविज्ञान के भीतर आता है या नहीं क्योंकि एक शैक्षणिक संस्थान को एक उम्मीदवार को भर्ती से इनकार करने का अंतर्निहित अधिकार है, जिसे विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा

अवांछनीय माना जाता है।

11. श्री जवाहर लाल गुप्ता ने तर्क दिया कि संबंधित निर्णय के सख्त वाक्यांश के भीतर भी, याचिकाकर्ता एक ऐसा व्यक्ति था जिसे दंडित किया गया था क्योंकि खंड यह नहीं कहता है कि केवल वे छात्र, जिन्हें दंडित किया गया था और जिनकी सजा बाद में बनाए रखी गई थी, समिति के निर्णय पर उनके भर्ती के लिए निर्भर करेंगे। गुप्ता के अनुसार, भले ही याचिकाकर्ता को बाद में कदाचार के आरोप से मुक्त कर दिया गया होता, फिर भी वह एक ऐसे व्यक्ति होते जिन्हें एक समय में "कदाचार के कारण दंडित किया गया था"। श्री गुप्ता का यह निवेदन मुझे बहुत दूर की बात प्रतीत होता है।

12. गुप्ता ने तब तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को भर्ती देने के लिए विश्वविद्यालय पर कोई वैधानिक कर्तव्य नहीं डाला गया था और परमादेश की प्रकृति में कोई रिट विश्वविद्यालय को जारी नहीं कर सकती है जब तक कि कानून उस पर ऐसा कर्तव्य नहीं डालता है। इस प्रस्ताव के लिए उन्होंने **लेखराज सथरामदास लालवानी बनाम एन. एम. शाह, उप संरक्षक-सह-प्रबंध अधिकारी, बॉम्बे और अन्य**[3] सुप्रीम कोर्ट के लॉर्डशिप की टिप्पणियों पर भरोसा किया है। ने इस आशय का उल्लेख किया कि परमादेश केवल उसी मामले में दिया जा सकता है जहां संबंधित अधिकारी पर एक वैधानिक कर्तव्य लगाया गया है, और उस अधिकारी की ओर से उस वैधानिक दायित्व का निर्वहन करने में विफलता है। प्रतिवादियों के लिए विद्वान वकील का यह तर्क केवल अकादमिक मूल्य का है क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 226 इस न्यायालय को इंग्लैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका में जारी प्रसिद्ध रिट के रूपों को अपनाने के अलावा कोई अन्य आदेश या निर्देश जारी करने के लिए अधिकृत करता है। हालांकि, गुप्ता सही हैं कि छात्रों को भर्ती देने के लिए विश्वविद्यालय का वैधानिक कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 29 के खंड (2) या अधिनियम की धारा 5 में निषिद्ध किसी भी आधार पर भर्ती से इनकार करने और किसी भी मनमाने, मनमौजी या बाहरी विचार पर उम्मीदवार को भर्ती देने से इनकार करने तक सीमित है। जहां तक याचिकाकर्ता को इस आधार पर भर्ती देने से इनकार कर दिया गया है जिसे किसी भी तरह से बाहरी या मनमाना नहीं

[3] ए.आई.आर. 1966 एस.सी. 334.

कहा जा सकता है, यह इस न्यायालय के लिए विश्वविद्यालय के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए नहीं है।

13. श्री जवाहर लाल गुप्ता ने **रमेश चन्द्र चौबे बनाम प्रिंसिपल बिपिन बिहारी इंटरमीडिएट कॉलेज**[4], झांसी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के खंडपीठ के फैसले का भी उल्लेख किया। और उस फैसले के आधार पर तर्क दिया कि संविधान में इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि यदि कोई छात्र किसी भी संस्थान में पढ़ रहा है तो उसे उस विशेष संस्थान में अपनी शिक्षा जारी रखने का अधिकार है, भले ही वह संस्थान के अधिकारियों को स्वीकार्य न हो। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि कॉलेज के प्रिंसिपल बिना कारण बताए कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र को सूचित कर सकते हैं कि उन्हें अगले सत्र के दौरान कॉलेज में भर्ती नहीं दिया जा सकता है, जहां प्रिंसिपल इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि छात्रों के बीच अनुशासन के हित में इस तरह की कार्रवाई आवश्यक है। यह माना गया कि प्रिंसिपल की ऐसी कार्रवाई अनुच्छेद 29 (2) से प्रभावित नहीं है और उच्च न्यायालय किसी शैक्षणिक संस्थान के प्रमुख द्वारा की गई कार्रवाई के साथ अनुच्छेद 226 के तहत हस्तक्षेप नहीं करेगा। किसी छात्र को अगले पाठ्यक्रम में भर्ती देने से मना करने के निर्णय के बारे में पहले से सूचित करने में चाहे जो भी बात हो या न हो, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि किसी संस्थान का प्रमुख हमेशा एक छात्र को एक नए पाठ्यक्रम में भर्ती देने से इनकार कर सकता है, जहां ऐसा प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि छात्रों के बीच अनुशासन के हित में ऐसी कार्रवाई आवश्यक है। संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत राहत प्रदान करने की किसी भी स्थिति में, यह मेरी राय में संविधान के प्रावधानों के दुरुपयोग की अनुमति होगी, यदि ऊपर उल्लिखित प्रकार के आधार पर शैक्षणिक संस्थानों द्वारा भर्ती से बाहर किए गए छात्रों को अनुच्छेद 226 के तहत उनके असाधारण अधिकार क्षेत्र के कथित प्रयोग में उच्च न्यायालयों द्वारा उन संस्थानों पर थोपा जाता है।

14. इस मामले में कोई अन्य बिंदु नहीं दिया गया है, **रिट** याचिका विफल हो जाती है और लागत के साथ खारिज कर दी जाती है।

[4] ए.आई.आर. 1953 ए.आई.एल. 90.

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

नेहा सिंह
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
पलवल, हरियाणा